

हरियाणा विधान सभा

सत्र-14

बुलेटिन संख्या-1

शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 2023

(हरियाणा विधान सभा की शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 2023 को प्रातः 11:00 बजे से सायं 4.18 बजे तक हुई बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण)

1. शोक प्रस्ताव

मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय:-

1. प्रोफेसर छत्तर सिंह चौहान, हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष;
2. डॉ० राम प्रकाश, हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री;
3. हरियाणा के शहीद;
4. अन्य।

के देहावसान का उल्लेख किया तथा 05 मिनट भाषण दिया।

प्रतिपक्ष के नेता, श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, ने 05 मिनट भाषण दिया।

अध्यक्ष महोदय ने भी सदन में अभिव्यक्त की गई भावनाओं के साथ अपने आप को सम्मिलित किया तथा 2 मिनट भाषण दिया।

यह विनिश्चित किया गया कि शोक संतप्त परिवारों को संवेदना संदेश भेजे जाएं।

दिवंगतों की पुण्य-स्मृति के प्रति सम्मान के रूप में सभा ने खड़े होकर दो मिनट के लिए मौन धारण किया।

2. प्रश्न

(क) तारांकित:

क्रम पत्र पर कुल संख्या	उत्तरित	न पूछे गए	स्थगित किए गए	अनुपूरकों की संख्या
20	13	—	—	16

शेष तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए समझे गए तथा उनके उत्तर सदन की मेज पर रखे गए।

(ख) अतारांकित: 40

3. कोहिनूर इंटरनेशनल एकेडमी, ततिआना, कैथल के विधार्थीगण तथा अध्यापकगण का अभिनन्दन करना।

प्रश्न काल के दौरान, अध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से कोहिनूर इंटरनेशनल एकेडमी, ततिआना, कैथल के विधार्थीगण तथा अध्यापकगण जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

4. घोषणाएं—

(क) अध्यक्ष महोदय द्वारा—

(i) चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची के संबंध में—

हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 13 (1) के अधीन, अध्यक्ष महोदय ने दिसम्बर सत्र, 2023 के लिए निम्नलिखित सदस्यों को चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची (पैनल आफ चेयरपर्सन्ज) में कार्य करने के लिए नामज़द किया :-

1. श्री मोहन लाल बड़ोली, विधायक
2. श्रीमती निर्मल रानी, विधायक
3. श्री वरुण चौधरी, विधायक
4. श्री ईश्वर सिंह, विधायक

(ii) सदस्यों की अनुपस्थिति के संबंध में—

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि—

(क) उन्हें श्री अमित सिहाग, विधायक से ई-मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि वे दिनांक 15.12.2023 को पारिवारिक समारोह में शामिल होने के कारण सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

(ख) उन्हें श्री राजेश नागर, विधायक से ई-मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि वे दिनांक 15.12.2023 को पारिवारिक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अहमदाबाद गए हुए हैं इसलिए वे आज दिनांक 15.12.2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

(ग) उन्हें श्री धर्मपाल गोंदर, विधायक से ई-मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि वे भारत संकल्प यात्रा में व्यस्त होने के कारण आज दिनांक 15.12.2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

(घ) उन्हें श्री राकेश दौलताबाद, विधायक से ई-मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि जरूरी कारणों से उनको चंडीगढ़ से बादशाहपुर वापस जाना पड़ा है इसलिए वे आज दिनांक 15.12.2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

(ङ) उन्हें श्री महीपाल ढांडा, विधायक से ई-मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि वे अस्वस्थ होने के कारण आज दिनांक 15.12.2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

(च) उन्हें श्रीमती किरण चौधरी, विधायक से दूरभाष के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि जरूरी कार्य होने के कारण वे आज दिनांक 15.12.2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकती हैं।

(iii) सुरक्षा सम्बन्धी उठाए गए कदमों के सम्बन्ध में—

अध्यक्ष महोदय ने दिनांक 13.12.2023 को लोकसभा में हुई घटना के उपरांत सदन की सुरक्षा और निर्विघ्न कार्यवाही को सुनिश्चित करने के बारे में माननीय सदस्यों को सुरक्षा संबंधी उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में सूचित किया एवं उन्हें सुरक्षा की जांच प्रक्रिया में हस्ताक्षेप न करने बारे दिशा निर्देश भी दिए।

(iv) आर्ट ऑफ लिविंग का सत्र आयोजित करवाने के सम्बन्ध में—

अध्यक्ष महोदय ने सदन को यह भी सूचित किया कि हरियाणा विधान सभा सचिवालय द्वारा पहली बार आर्ट ऑफ लिविंग के मार्गदर्शन में तनाव मुक्ति एवं प्रसन्नता के लिए दिनांक 19.12.2023 को प्रातः 7:00 बजे से 9:00 बजे तक हरियाणा निवास, सैक्टर-3, चण्डीगढ़ में एक सत्र का आयोजन किया जा रहा है इसलिए उन्होंने सभी सदस्यों से इस सत्र में शामिल होने के लिए अनुरोध किया।

(ख) सचिव द्वारा—

सचिव महोदय ने निम्नलिखित विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने अगस्त, सत्र 2023 में पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, नेवा पोर्टल के माध्यम से सादर सदन की मेज पर रखने की घोषणा की।

अगस्त सत्र, 2023

1. सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023.
2. हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023.
3. हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023.
4. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023.
5. हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023.
6. हरियाणा वाद्य (शोर-नियंत्रण) निरसन विधेयक, 2023.
7. हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक, 2023.
8. हरियाणा विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2023.
9. हरियाणा विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2023.
5. कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

अध्यक्ष महोदय ने कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत की :-

समिति की बैठक वीरवार, 14 दिसम्बर, 2023 को 4.00 बजे मध्याह्न-पश्चात् माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में हुई।

समिति ने सिफारिश की कि जब तक अध्यक्ष महोदय अन्यथा निर्देश नहीं देते, सत्र के दौरान, विधान सभा की बैठक शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 2023 को प्रातः 11.00 बजे आरम्भ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात् स्थगित होगी।

सोमवार, 18 दिसम्बर, 2023 को विधान सभा की बैठक प्रातः 11.00 बजे आरम्भ होगी तथा सायं 6.00 बजे बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी।

मंगलवार, 19 दिसम्बर, 2023 को विधान सभा की बैठक प्रातः 11.00 बजे आरम्भ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात् स्थगित होगी।

कुछ चर्चा के पश्चात्, समिति ने आगे सिफारिश की कि 15, 18 तथा 19 दिसम्बर, 2023 को सभा द्वारा निम्नानुसार कार्य किया जाएगा:—

शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 2023
(प्रातः 11.00 बजे)

1. शोक प्रस्ताव।
2. प्रश्न काल।
3. कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा स्वीकार करना।
4. सदन की मेज़ पर रखे जाने वाले/पुनः रखे जाने वाले कागज-पत्र।
5. विशेषाधिकार समिति का दूसरा प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा उस पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना।
6. विधायी कार्य।

शनिवार, 16 दिसम्बर, 2023

छुट्टी

रविवार, 17 दिसम्बर, 2023

छुट्टी

सोमवार, 18 दिसम्बर, 2023
(प्रातः 11.00 बजे)

1. प्रश्न काल।
2. वर्ष 2019-2020, 2020-2021 तथा 2021-2022 के लिए अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगों प्रस्तुत करना, चर्चा तथा मतदान।
3. वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) प्रस्तुत करना तथा उस पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट।
4. वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) पर चर्चा तथा मतदान।
5. विधायी कार्य।

मंगलवार, 19 दिसम्बर, 2023
(प्रातः 11.00 बजे)

1. प्रश्न काल।
2. निरन्तर बैठक संबंधी नियम 15 के अधीन प्रस्ताव।
3. अनिश्चित काल तक सभा के स्थगन संबंधी नियम 16 के अधीन प्रस्ताव।
4. रखे जाने वाले कागज-पत्र, यदि कोई हों।
5. वर्ष 2019-2020, 2020-2021 तथा 2021-2022 के लिए अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगों के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक, 2023।
6. वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुमानों (दूसरी किस्त) के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक।

7. विधायी कार्य।
8. कोई अन्य कार्य।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया—

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों स्वीकार करता है।

विपक्ष के नेता श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा तथा श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक ने भी इस बारे में अपने विचार व्यक्त किए।

प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

6. ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्ताव/गैर सरकारी प्रस्तावों/अल्पावधि चर्चा के प्रस्तावों/सरकारी प्रस्ताव तथा विधेयकों के बारे में सूचना।

जब इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री आफताब अहमद, श्रीमती गीता भुक्कल और उनकी पार्टी के अन्य सदस्यों द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्ताव/गैर सरकारी प्रस्तावों/अल्पावधि चर्चा के प्रस्ताव की सूचना का परिणाम जानना चाहा तो अध्यक्ष महोदय ने उन्हें सूचित किया कि उनके द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कंवर्ट कर दिया गया है। श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और उनकी पार्टी के अन्य सदस्यों ने उनके द्वारा दिए गए हरियाणा प्रदेश में जहरीली शराब पीने के कारण लोगों की असमय हुई मृत्यु की उच्च स्तरीय जांच करवाने से सम्बन्धित स्थगन प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कंवर्ट किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि यह स्थगन प्रस्ताव बहुत ही गम्भीर विषय से सम्बन्धित है इसलिए उनके द्वारा दिए गए इस स्थगन प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कंवर्ट न करके इसी स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृत करके इस पर सदन में चर्चा करवाई जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने उनको बताया कि उनके द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव को कंवर्ट करके जिस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के साथ जोड़ा गया है वह भी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा ही दिया गया है और उस पर सदन में चर्चा करवाई जाएगी तथा उस पर सरकार द्वारा जवाब भी दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय ने अब तक विधान सभा सचिवालय को प्राप्त हुए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/गैर सरकारी प्रस्तावों/सरकारी प्रस्ताव/अल्पावधि चर्चा के प्रस्तावों के परिणामों के बारे में सदन को सूचित करते हुए बताया कि या तो ये स्वीकृत कर दिए गए हैं या अस्वीकृत कर दिए गए हैं या अभी विचाराधीन हैं। उन्होंने सदन में पेश किए जाने वाले विभिन्न विधेयकों के बारे में भी जानकारी दी।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को यह भी बताया कि जो एक सरकारी प्रस्ताव हरियाणा राज्य के गीत के चयन के लिए सरकार की तरफ से आया है उस पर सदन में चर्चा भी कराई जाएगी।

7. वाक आउट

सदन में उपस्थित इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य उनके द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृत न किए जाने और उसको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कंवर्ट किए जाने के विरोधस्वरूप सदन से वाक आउट कर गए ।

8. हिन्दू कॉलेज, सोनीपत के विधार्थीगण तथा अध्यापकगण का अभिनन्दन करना।

अध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से हिन्दू कॉलेज, सोनीपत के विधार्थीगण तथा अध्यापकगण जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

9. शून्यकाल में भाग लेने के लिए समयावधि तथा सदस्यों के नामों के संबंध में सूचना।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि चूंकि आज 12 सदस्यों के नाम ही शून्य काल में बोलने के लिए आए हैं इसलिए आज प्रत्येक सदस्य को 5 मिनट का समय बोलने के लिए दिया जाएगा लेकिन इस बारे में कुछ चर्चा के पश्चात अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से घोषणा की कि सोमवार से शून्य काल में प्रत्येक सदस्य को केवल 4 मिनट का ही समय बोलने के लिए दिया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि आज श्रीमती गीता भुक्कल, सर्वश्री सोमबीर सांगवान, शमशेर सिंह गोगी, जयवीर सिंह, वरुण चौधरी, बलराज कुण्डु, अभय सिंह यादव, राम कुमार गौतम, राव चिंरजीव, राव दान सिंह, अभय सिंह चौटाला तथा भव्य बिश्नोई विधायकों को शून्य काल में बोलने के लिए समय दिया जाएगा ।

10. विधेयकों की प्रतियां समय पर सदस्यों को उपलब्ध न करवाए जाने का मामला उठाना ।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री आफताब अहमद ने विधेयकों की प्रतियां समय पर सदस्यों को उपलब्ध न करवाए जाने का मामला उठाते हुए अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि विधेयकों की प्रतियां सदस्यों को उनकी डाली हुई परम्परा के अनुसार समय पर उपलब्ध करवाई जानी चाहिए ताकि सदस्य उन विधेयकों को अच्छी तरह से पढ़ सकें और उन पर चर्चा कर सकें । अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्य को बताया कि सभी सदस्यों को आज ही विधेयकों की प्रतियां मिल जाएंगी और उन पर मंगलवार को चर्चा करवाई जाएगी ।

11. शून्यकाल में विभिन्न मामले/मांगें उठाना।

उपाध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मामलों/मांगों को उठाने की अनुमति दी। तत्पश्चात्, श्रीमती गीता भुक्कल, सर्वश्री सोमबीर सांगवान, शमशेर सिंह गोगी, जयवीर सिंह, वरुण चौधरी, बलराज कुण्डु, अभय सिंह यादव, राम कुमार गौतम, राव चिंरजीव, राव दान सिंह, अभय सिंह चौटाला तथा भव्य बिश्नोई, विधायको ने अपने अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मामलों/मांगों को सदन में उठाया।

12. बैठक का स्थगन।

उपाध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि दोपहर के भोजन अवकाश के लिए सदन एक घंटे के लिए स्थगित रहेगा।

तत्पश्चात् सदन मध्याह्न-पश्चात् 1:43 बजे एक घंटे के लिए स्थगित हुआ तथा मध्याह्न-पश्चात् 2:43 बजे पुनः समवेत हुआ।

(जब सदन समवेत हुआ तो अध्यक्ष महोदय ने सदन की अध्यक्षता की।)

13. सरकारी प्रस्ताव—

“हरियाणा राज्य गीत के चयन के बारे में”

मध्याह्न पश्चात् 2:43 बजे मुख्यमंत्री महोदय ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:—

“यद्यपि हरियाणा राज्य 1 नवम्बर, 1966 को अस्तित्व में आया, लेकिन हरियाणा की पावन धरा पूर्व-वैदिक काल से ही गौरवशाली इतिहास, समृद्ध परंपराओं और संस्कृति का केंद्र रही है। आज हरियाणा प्रदेश की पहचान भारत के अग्रणी राज्यों में होती है। हरियाणा के लोगों ने सदैव देश की रक्षा में अनेक बलिदान दिए हैं और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

यद्यपि हरियाणा का अपना राज्य-चिह्न है, लेकिन प्रदेश का कोई राज्य-गीत नहीं है, जो इसके इतिहास और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता हो और जिसमें इसके लोगों के गुण और योगदान समाविष्ट हों। एक बार अपनाया गया राज्य गीत सभी हरियाणवियों को उनकी जाति, लिंग धर्म या आर्थिक स्थिति से इतर, उन्हें एक नई गौरवपूर्ण पहचान प्रदान करेगा।

हमारे पास तीन विकल्प हैं, जिन्हें इस माननीय सदन के समक्ष राज्य गीत के रूप में विचारार्थ रखा जा रहा है। इन विकल्पों का चयन एक विस्तृत प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। इसमें समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से जनता से गीत आमंत्रित किये गये थे। इसके जवाब में 204 प्रविष्टियां मिलीं, जिनमें से इन 3 का चयन किया गया है। मैं राज्य गीत का चयन करने में इस माननीय सदन का समर्थन चाहता हूँ। मुझे आशा है कि यह गीत इस सदन की और राज्य के लोगों, जिनका हम सभी प्रतिनिधित्व करते हैं, की सामूहिक इच्छा को अभिव्यक्त करेगा।

मैं इन तीन विकल्पों को आपके विचार के लिए प्रस्तुत करता हूँ और आपकी राय चाहता हूँ कि इन तीन विकल्पों में से किस गीत को प्रारंभ में आज से एक साल की अवधि के लिए राज्य गीत के रूप में अपनाया जाए।”

और 2 मिनट भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री भारत भूषण बत्रा, श्रीमती गीता भुक्कल और श्री जगबीर सिंह मलिक ने भी क्रमशः 2, 2 तथा एक मिनट भाषण दिया ।

निर्दलीय विधायक श्री रणधीर सिंह गोलन व श्री नयन पाल रावत ने भी क्रमशः 1, 1 मिनट भाषण दिया ।

मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस बारे में 2 मिनट भाषण दिया और स्थिति स्पष्ट की ।

तत्पश्चात सदन में हरियाणा राज्य गीत के लिए क्रमशः क, ख और ग यानि तीन गीतों को सुनवाया गया ।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय ने सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध किया कि दिनांक 19.12.2023 यानि मंगलवार को वे सदन में अपनी अपनी पसंद के अनुसार इस बारे में अपना मत मतदान के दौरान दे सकते हैं। सदस्यों के मतदान के बाद ही ये फैसला किया जाएगा कि गीतों के इन तीन विकल्पों में से किस गीत को हरियाणा प्रदेश के राज्य गीत के रूप में चयनित किया जाए ।

मुख्यमंत्री महोदय ने सदस्यों से यह भी अनुरोध किया कि यदि कोई सदस्य हरियाणा राज्य गीत के लिए कोई नया प्रारूप भी देना चाहता है तो वह लिखित में दे सकता है । अध्यक्ष महोदय ने मुख्यमंत्री की बात पर सहमति जताते हुए कहा कि इस बारे में दिनांक 19.12.2023 को निर्णय कर लिया जाएगा ।

14. जींद के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और उससे सम्बन्धित उप मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए मीडिया के वक्तव्य से सम्बन्धित मामला उठाना ।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी की सदस्या श्रीमती गीता भुक्कल ने जींद के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और उससे सम्बन्धित उप मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए मीडिया के वक्तव्य से सम्बन्धित मामला उठाते हुए कहा कि उन्होंने उनसे सम्बन्धित जो बातें मीडिया में कही हैं उनके सम्बन्ध में या तो उनको कोई प्रूफ देना चाहिए या फिर सदन में खड़े होकर उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए । उन्होंने इस बारे में कड़ा विरोध व्यक्त करते हुए कहा कि बगैर प्रूफ के इनको इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए । इस दौरान काफी देर तक चली चर्चा के दौरान श्रीमती गीता भुक्कल ने उप मुख्यमंत्री के प्रति कुछ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग भी किया ।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री भारत भूषण बतरा और श्री शमशेर सिंह गोगी ने भी इस बारे में अपने विचार प्रकट किए ।

इंडियन नैशनल लोकदल के सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला ने भी इस बारे में अपने विचार प्रकट किए और सुझाव दिया कि इस सारे मामले की ज्युडिशियल जांच करवाई जानी चाहिए ताकि सारी स्थिति स्पष्ट हो सके ।

संसदीय कार्य मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस बारे में अपने विचार रखते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की । उप मुख्यमंत्री महोदय ने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि इस मामले की जांच हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज से करवा ली जाए ताकि सारी स्थिति स्पष्ट हो जाए ।

मुख्यमंत्री महोदय ने अध्यक्ष महोदय से इस केस की पूरी इन्कवायरी करवाने की बात रखी ।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को आश्वस्त करते हुए कहा कि यह बहुत गम्भीर विषय है और इस विषय पर दिनांक 19.12.2023 को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी सदन में चर्चा के लिए स्वीकृत किया गया है फिर भी मामले की गम्भीरता को देखते हुए इस मामले की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाने के लिए विधान सभा की तरफ से लिखा जाएगा ।

15. शेम्फोर्ड स्कूल, बराड़ा, जिला अम्बाला के विधार्थीगण तथा अध्यापकगण का अभिनन्दन करना ।

अध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से शेम्फोर्ड स्कूल, बराड़ा, जिला अम्बाला के विधार्थीगण तथा अध्यापकगण जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया ।

16. सदन के समय की अवधि को कम करने का मामला उठाना ।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री भारत भूषण बतरा ने सदन के समय की अवधि को कम करने का मामला उठाते हुए अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि सदन का समय सायं 6 बजे की बजाय सायं 5 बजे तक कर दिया जाए तथा भोजनावकाश का समय एक घण्टे से घटाकर 40 मिनट कर दिया जाए । अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों से कहा कि यदि सदन की इस बारे में सहमति होगी तो सदन का समय कम किया जा सकता है ।

17. उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा श्रीमती गीता भुक्कल द्वारा उनके विरुद्ध प्रयोग किए आपत्तिजनक शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकलवाने का मामला उठाना ।

उप मुख्यमंत्री महोदय ने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक ने आज जो उनके विरुद्ध आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है उनको सदन की कार्यवाही से निकलवाया जाना चाहिए । इसके बाद अध्यक्ष महोदय ने श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक द्वारा उप मुख्यमंत्री महोदय के विरुद्ध कहे गए आपत्तिजनक शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकलवा दिया ।

18. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा उस पर वक्तव्य

“जुलाई, 2023 में भारी बारिश के कारण बाढ़ एवं जलभराव के कारण हुए नुकसान का मुआवजा न मिलने से संबंधित”

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्हें श्री वरुण चौधरी, विधायक तथा 2 अन्य विधायकों सर्वश्री अमित सिहाग तथा आफताब अहमद से जुलाई, 2023 में भारी बारिश के कारण बाढ़ एवं जलभराव के कारण हुए नुकसान का मुआवजा न मिलने से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 प्राप्त हुई है, जिसे उन्होंने स्वीकृत कर लिया है।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को आगे सूचित किया कि ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 24, जो कि श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 10 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक चर्चा के समय एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को आगे सूचित किया कि ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 54, जो कि श्री नीरज शर्मा, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 10 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री नीरज शर्मा, विधायक चर्चा के समय एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

उन्होंने आगे श्री वरुण चौधरी, श्री अभय सिंह चौटाला एवं श्री नीरज शर्मा, विधायकों से अपनी अपनी सूचना पढ़ने तथा इसके बाद संबंधित मंत्री से इस बारे में वक्तव्य देने के लिए कहा।

तत्पश्चात श्री वरुण चौधरी और श्री अभय सिंह चौटाला ने अपनी अपनी सूचना पढ़ी तथा श्री नीरज शर्मा ने कहा कि उनकी सूचना पढ़ी समझी जाए।

तब उप मुख्यमंत्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया।

19. नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर पुनः रखे/रखे गए कागज-पत्र।

संसदीय कार्य मंत्री ने नेवा पोर्टल के माध्यम से क्रम संख्या 1 से 22 तक कागज-पत्र सदन की मेज पर पुनः रखे और क्रम संख्या 23 से 58 तक कागज-पत्र सदन की मेज पर रखे।

20. विशेषाधिकार मामले के संबंध में विशेषाधिकार समिति का दूसरा प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना।

The Chairperson of the Privileges Committee (Shri Narender Gupta) presented the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of Privilege given following notice dated 21st February, 2023 of by Shri Jogi Ram, MLA and Shri Anoop Dhanak, MLA against Shri Abhay Singh Chautala, MLA, that:-

"Shri Abhay Singh Chautala has brought certain wrong and misleading facts regarding the land acquired near/for the purpose of Hisar Airport, etc. Thus, by giving false and wrong facts, knowingly, intentionally and deliberately, he has lowered the prestige, status and dignity of the House particularly and members especially. The act of the said member, therefore, clearly constitutes Breach of Privilege, that too on the Floor of House. Besides this, the conduct of Shri Abhay Singh Chautala towards other member(s) remained unwarranted and unparliamentary, while he was speaking in the House." The matter was referred by the House to the Committee of Privileges on 21st February, 2023. The Committee was required to make a report to the House by the first sitting of the next Session i.e., on 15th December, 2023. The Committee has discussed the matter in its meetings held on 19.07.2023, 03.10.2023 & 18.10.2023 and decided to take the oral evidence of Shri Jogi Ram, MLA and Shri Anoop Dhanak, MLA on 02.08.2023, 18.10.2023 & 08.11.2023 respectively. However, the Hon'ble Members have not appeared before the Committee on all the three occasions for oral evidence. Further, the Committee in its meeting held on 06.12.2023 decided to give last opportunity to Shri Jogi Ram, MLA and Shri Anoop Dhanak, MLA to appear before the Committee on 27.12.2023 for oral evidence. As the issue is under active consideration of the Committee and needs detailed examination and mandatory procedural aspects to be followed, therefore, the Committee recommends more time for making the final report, therefore, he also beg to move-

that the time for presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of the next session.

The motion was moved and carried.

21. विधायी कार्य
पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक।

1. हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन (संशोधन) विधेयक, 2023

सायं 4.16 बजे उप मुख्यमंत्री ने हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित किया।

विधेयक पुरःस्थापित हुआ।

2. हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023

सायं 4.17 बजे सहकारिता मंत्री ने हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित किया।

विधेयक पुरःस्थापित हुआ।

3. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023

सायं 4.17 बजे उच्चतर शिक्षा मंत्री ने हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित किया।

विधेयक पुरःस्थापित हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय ने मध्याह्न-पश्चात् 12.35 बजे से दोपहर के भोजनावकाश के लिए सदन के स्थगित होने तक सदन की अध्यक्षता की।

तब सभा सोमवार, 18 दिसम्बर, 2023 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

चण्डीगढ़
15 दिसम्बर, 2023.

सचिव।